

फर्द अहकाम  
अंशु जैन बनाम राजस्थान सरकार

ना पत्र संख्या: 163/2024

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष  
विवरण

क्र.सं.

06.2024

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया। प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी की ग्राम सांझरिया, त0 सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बरान् 645/1, 646/1, 647/1 में प्रार्थी का नाम उप पंजीयक जयपुर द्वितीय द्वारा नामान्तकरण खोलते वक्त नाम में अंशु जैन की जगह अंशुल जैन एव पते में नवकार का नवकर कर दिया।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने बहस प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी की ग्राम सांझरिया, त0 सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बरान् 645/1, 646/1, 647/1 में प्रार्थी का नाम उप पंजीयक जयपुर द्वितीय द्वारा नामान्तकरण खोलते वक्त नाम में गलती से अंशु जैन की जगह अंशुल जैन एव पते में नवकार का नवकर कर दिया। जिसे दुरुस्त करने का निवेदन किया।

बहस प्रार्थी एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन कराने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी की ग्राम सांझरिया, त0 सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बरान् 645/1, 646/1, 647/1 में प्रार्थी का नाम अंशुल जैन की जगह अंशु जैन एव प्रार्थी के पते में नवकार की जगह नवकार दुरुस्त किया जावे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

उप-खण्ड अधिकारी,  
जयपुर (द्वितीय)

डिस्ट्रीक्ट  
18/11,  
2024

